(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमाक–1664–एक / 1999 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–07–1999 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक –189 / 1998–99 / निग0

.....

अकबर अहमद पुत्र श्री बन्दे अली
निवासी–ग्राम तमासा, तहसील मुंगावती
जिला-(गुना) हाल - अशोक नगर

------आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश शासन

2– बुद्ध पुत्र श्री केसरिया
निवासी–ग्राम तमासा, तहसील मुंगावती
जिला-(गुना) हाल- अशोक नगर

------अनावेदकगण

.....

श्री विनोद भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजीव गौतम, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र0 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/7/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–07–1999 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक ने तहसीलदार, मुंगावली के समक्ष भू–राजस्व संहिता की धारा 190 के अंतर्गत आवेदन पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया कि ग्राम तामासा की प्रश्नाधीन भूमि पर भू–राजस्व संहिता के निर्माण से ही कब्जा चला आ रहा है। अतः उसका नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जावे। तहसीलदार ने दिनांक

22.09.89 को आदेश पारित करते हुये आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार किया । इसी आदेश के विरुद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर, अशोकनगर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने अपर आयुक्त ग्वालियर से प्रकरण को स्वमेव निगरानी में अनुमति लिये जाने हेतु प्रकरण भेजा । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 30.03.99 का निष्कर्ष निकालते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसील का आदेश निरस्त करते हुये प्रश्नाधीन भूमि विधिवत शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त ने दिनांक 12.07.1999 को निगरानी निरस्त की। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से प्रश्नाधीन भूमिस्वामी दर्ज कराने हेतु संहिता की धारा 190–110 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार द्वारा विधिवत इस्तहार जारी नहीं किया गया । आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निरंतर कब्जा भी साबित नहीं किया । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य साक्ष्य का कूट परीक्षण भी नहीं किया है। इसी कारण अपर कलेक्टर के समक्ष प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है। अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 30.03.99 में विस्तार से विवेचना कर आवेदक को भूमिस्वामी घोषित करने संबंधित आदेश को निरस्त किया जाकर निर्णय पारित किया और प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। अपर कलेक्टर के इसी आदेश को अपर आयुक्त ने भी उचित माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त ग्वालियर का आदेश दिनांक 12.07.99 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,